4थी बैठक की कार्यवाही (06.4.2013)

दिनांक-06.04.2013 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित 'राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति' की चौथी बैठक की कार्यवाही

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की चौथी बैठक में जानकारी दी कि दिनांक-18.12.2012 की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मानव विकास से संबंधित 20 सूचकांको की पहचान कर सात समितियाँ विभिन्न विभागों प्रधान सचिव/सचिवों की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिनके द्वारा रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें उक्त सूचकांको का 2017 एवं 2022 तक के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।

2. सर्वप्रथम जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं कुपोषण विषयक समिति के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनी समिति से संबंधित रोड मैप के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया, जो निम्नवत है:-

(i) **शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate- IMR)** : समीक्षोपरान्त माननीय मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि कई माताओं के दूध पिलाने की क्षमता क्यों कम हो जाती है तथा माताओं द्वारा स्तनपान बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है, इसका शोध एवं निदान किया जाए तथा इसका प्रतिशत दर भी प्राप्त किया जाए। इस संबंध में उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का भी सुझाव दिया। साथ ही अतिरिक्त ममता' (MAMTA) कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकताओं का ऑकलन सभी स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों के आधार पर किया जा सकता है।

(ii) **मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio- MMR)** : समीक्षोपरान्त मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सीय सुविधा, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाने, उच्च मातृ मृत्यु दर वाले क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा रक्षा योजना' को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने एवं फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का भी निदेश दिया।

(iii) **कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR)** : समीक्षोपरान्त कुल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का सुझाव दिया जिसके लिए शिक्षा सर्वश्रेष्ट औजार है।

(iv) **कुपोषण (Malnutrition)** : समीक्षोपरान्त बच्चों को पोषक आहार एवं विटामिन A आदि पूरक आहार वितरण की योजना का कार्यान्वियन तीव्र गति से कार्य करने का निर्णय लिया गया।

(v) **एनीमिया (Anaemia)** : निर्णय लिया गया कि महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए आयरन-फॉलिक एसिड की गोलियाँ नियमित रूप से बांटी जाय।

(vi) **लिंगानुपात (Sex Ratio)** : लिंगानुपात बढ़ाने हेतु शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि बाल-विवाह को रोका जा सके। निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों में जीविका कार्यरत है वहाँ उनके माध्यम से बाल विवाह एवं लिंगानुपात संबंधी प्रचार-प्रसार किया जाय।

(vii) **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth)** : बच्चों के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने, मापदंड के आधार पर अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने, चिकित्सा पदाधिकारी की सेवायें उपलब्ध कराने, पोषक आहार, समेकित टीकाकरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का सुझाव दिया।

(viii) **बाल विवाह (Child Marriage)** :— बालिकाओं की शिक्षा से बाल विवाह, लिंगानुपात एवं कुपोषण पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं शिक्षकों की सेवायें उपलब्ध करायी जाय। जिस क्षेत्र में बाल-विवाह के अत्यधिक मामले है एवं लिंगानुपात कम है, उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराया जाय। बाल विवाह के रोकथाम के लिए सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है।

3. जलापूर्ति एवं स्वच्छता विषयक समिति के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा रोड मैप प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें मात्र ग्रामीण क्षेत्रों के विषयों के संबंध में चर्चा की गयी।

(i) **स्वच्छ पेयजल (Safe Drinking Water)** : निर्णय लिया गया कि पेयजल में आर्सेनिक फ्लोराईड एवं आयरन प्रभावित आबादी तथा क्षेत्रों के आँकड़ों का स्वतंत्र एजेन्सियों से सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन कराया जाय। उन्होंने पूर्व में गाड़े गये चापाकलों जिनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसे बदलने का निदेश दिया गया तथा तत्संबंधी आँकड़े भी संधारित करने का निदेश दिया गया। निर्णय लिया गया कि राज्य में अवस्थित जल स्रोतों के विस्तृत मैपिंग कर नियमित रूप से आँकड़ो का अद्यतन किया जाय। राज्य के सभी नागरिकों को साफ एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(ii) **स्वच्छता (Sanitation)** : निर्देश दिया गया कि लोहिया स्वच्छता अभियान के लक्ष्यों एवं उपलब्धि को पृथक रूप से दर्शाया जाय, शौचालय निर्माण की नियमित निगरानी की जाय तथा स्वयं सहायता समूहों की भी सेवा ली जाए। इस संबंध मे आवश्यकतानुसार निर्देश प्राप्त किया जाय।

4. निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाय।

5. अन्तरविभागीय एवं कन्वरजेंस संबंधी विषयों पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित प्रधान सचिव/सचिव स्तर की एक समिति का गठन कर लिया जाय जिसके आधार पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमिटी में नीतिगत विषयों के संबंध मे चर्चा की जायेगी।

6. अन्य समितियों के रोड मैप के संबंध में आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांकः मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड).........919....../दिनांक 10/7, 2013

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड).........919....../दिनांक 10/7, 2013

प्रतिलिपि- माननीय उप (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मंत्री, शिक्षा के आप्त सचिव/मंत्री, योजना एवं विकास के आप्त सचिव/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के आप्त सचिव/मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव /मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण के आप्त सचिव/ मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा के आप्त सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, श्रम संसाधन के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना एवं जन संपर्क के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना प्रावैधिकी के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड).........919....../दिनांक 10/7, 2013

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड).......919........./दिनांक 10/7, 2013

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/श्रम संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/2013
(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव